न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
12/2020	16.10.2020	18.11..2022

//उनवान//

1 अमरसिंह पुत्र चन्दरराम जाति जाट निवासी रानोठ तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादी

बनाम

1 कन्हैयालाल
2 प्रभाती
3 प्रभूदयाल पुत्रान भोला जातियान नाई निवासीयान ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 हाल निवासीयान नामालूम।
4 शरबती बेवा घीसा जाति नाई निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 हाल निवासी नामालूम।
5 रामजीलाल पुत्र भोलू जाति ब्राह्मण निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 हाल निवासी नामालूम।
6 राज्य सरकार जरियें तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
7 श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादीगण

8 चेतराम पुत्र चन्दराम
9 हरिसिंह पुत्र चन्दरराम
10 शिवराम पुत्र चन्दरराम जातियान जाट निवासीयान रानोठ तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक मय दूरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड वो हु0ई0 दवामी।

उपस्थितिः– श्री सत्यवीर चौधरी – वकील वादी

निर्णय

दिनांक– 18.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 2056/0.35 है0 वाके ग्राम ततारपुर तह0 मुण्डावर में स्थित होकर उक्त विवादित आराजी ख0नं0 2056 रकबा 1 बीघा 8 बीस्वा रही है जो प्रतिवादी सं0 01 ल0 03 का 1/2 भाग व प्रतिवादी सं0 04 के 1/2 भाग कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है। प्रतिवादी सं0 01 ने उक्त विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी को दिनांक 20.08.1971 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बएवज प्रतिफल मय कब्जा प्रतिवादी सं0 05 को बेचान कर दिया, लेकिन बयनामा लिखते समय नसीका नवीस द्वारा विक्रेता का हिस्सा दर्ज नहीं किया जाकर शालिम आराजी का बयनामा तहरीर वो तकमील कराकर उपपंजीयक से तस्दीक करा दिया गया तथा प्रतिवादी सं0 05 को मौके पर संपूर्ण आराजी पर कब्जा दे दिया व प्रतिवादी सं0 05 द्वारा आराजी खरीद

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

करने के बाद अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करने लगा तथा अपने नाम बयनामा कराने के बाद बयनामा का इन्तकाल अपने नाम दर्ज नहीं कराया तथा आराजी विक्रेता कन्हैयालाल के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। प्रतिवादी सं0 05 ने अपनी जरियें बयनामा खरीदशुदा आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के ही बएवज प्रतिफल मय कब्जा दिनांक 24.10.1983 को मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड करा दिया तथा मौके पर मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण को शालिम आराजी पर कब्जा दे दिया, चूंकि हम ग्रामीण व्यक्ति रहे हैं ने प्रतिवादी सं0 05 के बयनामा के आधार पर जरिये बयनामा आराजी खरीद की है तथा वक्त बयनामा राजस्व रिकॉर्ड नहीं देखा तथा वक्त खरीद से आराजी पर काबिज हो गये तथा सोचा कि आराजी का इन्तकाल अपने आप दर्ज हो जाता है जिस कारण आराजी का इन्तकाल अपने नाम दर्ज नहीं कराया तथा आराजी पूर्व विक्रेता के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। अब हमको राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से संपर्क किया तथा राजस्व रिकॉर्ड की नकुलाय प्राप्त की तो जानकारी हुई है जिस पर हमने प्रतिवादीगण से संपर्क करने का प्रयास किया तो जानकारी हुई की प्रतिवादी सं0 01 ल0 04 आराजी बेचान करने के बाद गांव छोड़कर किसी दिगर जगह चले गये जिस पर काफी तलाश किया लेकिन प्रतिवादीगण के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। विवादित आराजी मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण की जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा है जो प्रतिवादी सं0 05 के द्वारा बयनामा से बयनामा कराया गया है तथा हम मौके पर शालिम आराजी पर काबिज है लेकिन विक्रेता प्रतिवादी सं0 01 का उक्त विवादित आराजी में 1/3 भाग दर 1/2 हिस्सा रहा है इसलिए मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गई आराजी का इन्तकाल मुताबिक प्रतिवादी सं0 01 के हिस्से का संभाग में अपने नाम दर्ज कराकर, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं0 01 का नाम हजफ कराकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने के अधिकारी है अंकित करते हुये वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे की आराजी हाल ख0नं0 2056/0.35 है0 वाके ग्राम ततारपुर तह0 मुण्डावर में प्रतिवादी सं0 01 के हिस्से 1/3 भाग दर 1/2 हिस्सा का बयनामा दिनांक 24.10.1983 के आधार पर कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी प्रकार नाम का अंकन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 01 का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 01 ल0 05 व 07 के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही लाई गई तथा बार–बार अवसर दिये जाने उपरांत पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पैरोकार प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिवादी सं0 06 के जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल हाल जमाबंदी प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015 बंदोबस्त विभाग प्रदर्श–2, नकल

जमाबंदी सैटलमेंट सम्वत् 2025–34 प्रदर्श–3, बयनामा रामजीला पुत्र भोलूराम दिनांक 30.09.1983 प्रदर्श–4, बयनामा कन्हैयालाल पुत्र भौलाराम दिनांक 20.08.1971 प्रदर्श–5 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र अमरसिंह पुत्र चन्दरराम पीडब्ल्यू–1 व प्रसादी पीडब्ल्यू–2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि प्रतिवादी सं0 05 द्वारा आराजी खरीद करने के बाद अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करने लगा तथा अपने नाम बयनामा कराने के बाद बयनामा का इन्तकाल अपने नाम दर्ज नहीं कराया तथा आराजी विक्रेता कन्हैयालाल के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। प्रतिवादी सं0 05 ने अपनी जरियें बयनामा खरीदशुदा आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के ही बएवज प्रतिफल मय कब्जा दिनांक 24.10.1983 को वादी व तर0प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड करा दिया तथा मौके पर वादी व तर0प्रतिवादीगण को शालिम आराजी पर कब्जा दे दिया, चूंकि वादी व तर0प्रतिवादीगण ग्रामीण व्यक्ति रहे हैं ने प्रतिवादी सं0 05 के बयनामा के आधार पर जरिये बयनामा आराजी खरीद की है तथा वक्त बयनामा राजस्व रिकॉर्ड नहीं देखा तथा वक्त खरीद से आराजी पर काबिज हो गये तथा आराजी का इन्तकाल अपने आप दर्ज हो जाता है मानकर आराजी का इन्तकाल अपने नाम दर्ज नहीं कराया तथा आराजी पूर्व विक्रेता के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। विवादित आराजी वादी व तर0प्रतिवादीगण की जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा है जो प्रतिवादी सं0 05 के द्वारा बयनामा से बयनामा कराया गया है तथा मौके पर शालिम आराजी पर काबिज है लेकिन विक्रेता प्रतिवादी सं0 01 का उक्त विवादित आराजी में 1/3 भाग दर 1/2 हिस्सा रहा है इसलिए वादी व तर0प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गई आराजी का इन्तकाल मुताबिक प्रतिवादी सं0 01 के हिस्से का संभाग में अपने नाम दर्ज कराकर, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं0 01 का नाम हजफ कराकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने के अधिकारी है अभिकथन करते हुये वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श–1 ल0 05 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत गवाहन पीडब्ल्यू–1 व 2 के माध्यम से भी अपने वादपत्र को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है ऐसी स्थिति में वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी हाल ख0नं0 2056/0.35 है0 वाके ग्राम ततारपुर तह0 मुण्डावर में प्रतिवादी सं0 01 के हिस्से 1/3 भाग दर 1/2 हिस्सा का बयनामा दिनांक 24.10.1983 के आधार पर कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 01 का नाम हजफ किया जाकर वादी एवं तर0प्रतिवादीगण के नाम का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का निवेदन रहा।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत

दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के हाल आराजी ख0नं0 2056/0.35 है0 वाके ग्राम ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं वादी व तर0प्रतिवादीगण को मुताबिक बयनामा दिनांक 24.10.1983 के कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 01 कन्हैयालाल के नाम 1/3 भाग दर 1/2 हिस्सा के बाबत के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी सं0 01 कन्हैयालाल के बजाय वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण सं0 08, 09, 10 का नाम संभाग में नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **18.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

18-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलकटर(फा0टे0)
मुण्डावर अलवर, राजस्थान

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

18/11/22 आज पत्रावली मूल दावा पत्रावली के साथ पेश हुई।
वकील प्रार्थी उप० आये/ प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली
आज डिक्री कर निर्णीत की जा चुकी है ऐसी स्थिति में
आगे कार्यवाही इसकी निल पर ड्रॉप कर स्वीकार की जाती
है। फैसल हुआ हो। नम्बर से कम हो/ बाद
तकमील सलंग्न मूल दावा रहे (दाखिल) गया।